

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

//सार्वजनिक सूचना//

क्रमांक / 5432/भू-अर्जन/123/2020

धमतरी दिनांक 09/07/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की कचना-बिरेझर-सिरी-मौरी मार्ग मजबूतीकरण निर्माण हेतु ग्राम-बिरेझर, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" के प्रावधानों के तहत नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण					
भूमिस्वामी का नाम	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5	6
बृजेन्द्रनाथ पिता जंगबहादुर	बिरेझर /33	831/3	0.10 हेक्टेयर	0.0052 हेक्टेयर	कलेक्टर जिला धमतरी
प्रताप, रूपेन्द्र, प्रमीन पिता हरीशचंद्र, अंजनी बेवा हरीशचंद्र		831/2	0.10 हेक्टेयर	0.0052 हेक्टेयर	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर

जिला धमतरी

पृ.क्रमांक 5433 /भू-अर्जन/123/2020
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक 09/07/2020

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की मूल प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार कुरुद, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर

जिला धमतरी

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

//सार्वजनिक सूचना//


क्रमांक / 5435 / भू-अर्जन / 19 / 2020

धमतरी दिनांक 09/07/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की भखारा-सुपेला मार्ग निर्माण हेतु ग्राम-सुपेला, तहसील-कुरुद, जिला -धमतरी स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" के प्रावधानों के तहत नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण					
भूमिस्वामी का नाम	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5	6
नरेन्द्र पिता बालमुकुंद	सुपेला	872	0.58 हेक्टेयर	0.0200 हेक्टेयर	कलेक्टर जिला धमतरी
यदुनंदन पिता संतराम	/	873	0.42 हेक्टेयर	0.0200 हेक्टेयर	
टोकेश्वर पिता बलदाऊ	07	414	0.30 हेक्टेयर	0.0200 हेक्टेयर	
हितेन्द्र पिता पुरानिक		871/2	0.11 हेक्टेयर	0.0200 हेक्टेयर	
भंवन लाल पिता पुरानिक		871/1	0.11 हेक्टेयर	0.0100 हेक्टेयर	
भूषण पिता पुरानिक		871/3	0.12 हेक्टेयर	0.0100 हेक्टेयर	
हेमाराम पिता हीराराम		411	0.16 हेक्टेयर	0.0100 हेक्टेयर	
बिसाहू पिता टेटकू		870	0.24 हेक्टेयर	0.0100 हेक्टेयर	
गौकरण पिता संतराम		410/3	0.12 हेक्टेयर	0.0100 हेक्टेयर	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।




कलेक्टर

जिला धमतरी

धमतरी, दिनांक 09/07/2020

पृ.क्रमांक 5435 / भू-अर्जन / 19 / 2020
प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रायपुर को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की मूल प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट एवं स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार कुरुद, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।



कलेक्टर

जिला धमतरी

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)
//सार्वजनिक सूचना//


क्रमांक/5430/भू-अर्जन/117/2020

धमतरी दिनांक 09/07/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की स्टापडेम निर्माण हेतु ग्राम-अरौद, तहसील मगरलोड, जिला -धमतरी स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" के प्रावधानों के तहत नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90 के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण					
भूमिस्वामी का नाम	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5	6
तीरथ राम, सोमनाथ, तीजिया, फगनी पिता लक्ष्मण जाति-तेली	अरौद/06	707	0.03 हेक्टेयर	0.03 हेक्टेयर	कलेक्टर जिला धमतरी
गंगाबाई पति रामानंद जाति-तेली		703/3	0.49 हेक्टेयर	0.07 हेक्टेयर	
भागवत पिता ठाकुर राम जाति-तेली		706	0.99 हेक्टेयर	0.16 हेक्टेयर	
संतोष, मोतिम बाई पिता हरिराम, मानकी बेवा हरिराम जाति-तेली		708	0.04 हेक्टेयर	0.04 हेक्टेयर	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।




कलेक्टर

जिला धमतरी

पृ.क्रमांक 5431 /भू-अर्जन/117/2020
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक 09/07/2020

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धमतरी कोड नंबर 90 को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की मूल प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाईट एवं स्थानीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार मगरलोड, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।



कलेक्टर

जिला धमतरी

कार्यालय कलेक्टर, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)
//सार्वजनिक सूचना//

क्रमांक / 5429 / भू-अर्जन / 166 / 2020

धमतरी दिनांक 09/07/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की बड़े करेली-नारी मार्ग पर निर्माणाधीन महानदी पुल के नारी की ओर पहुँचमार्ग हेतु ग्राम-नारी, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी स्थित निजी भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016" के प्रावधानों के तहत नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग रायपुर के पक्ष में क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

भूमि का विवरण					
भूमिस्वामी का नाम	ग्राम/ प.ह.नं.	खसरा नंबर	कुल रकबा	आपसी सहमति से क्रय हेतु प्रस्तावित रकबा	प्राधिकृत अधिकारी
1	2	3	4	5	6
नत्थुराम, गणेश राम, अवध राम, परसु राम पिता केजूराम, मुटाना बाई बेवा केजूराम जाति-सोनकर	नारी/42	4369	0.22 हेक्टेयर	0.0200 हेक्टेयर	कलेक्टर जिला धमतरी
बनिहार, संतोष पिता बिसेराम		4367	0.08 हेक्टेयर	0.0100 हेक्टेयर	

02- यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के 15 दिवस के भीतर अपना दावा आपत्ति आधार सहित लिखित में कलेक्टर धमतरी के समक्ष स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर

जिला धमतरी

पृ.क्रमांक 5429 / भू-अर्जन / 166 / 2020
प्रतिलिपि :-

धमतरी, दिनांक 09/07/2020

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरुद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग रायपुर को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की मूल प्रति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरुद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. जिला प्रभारी अधिकारी (एन.आई.सी.) जिला धमतरी को सूचनार्थ। उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के वेबसाइट एवं स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार कुरुद, तहसील कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पटल में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर

जिला धमतरी